झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 4873/2021

उपेन्द्र नारायण सिंह, उम्र लगभग 68 वर्ष, श्री दुलारू सिंह के पुत्र, निवासी महेश्वर, पुवारी टोला, वार्ड नंबर 6, डाकघर महेश्वर, थाना नौकोठी, जिला- बेगूसराय, बिहार।

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से, जिसका कार्यालय धनबाद, डाकघर, थाना और जिला- धनबाद में स्थित है।

2. प्रबंध निदेशक, झारखंड मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका कार्यालय धनबाद, डाकघर, थाना और जिला- धनबाद में स्थित है।

3. सचिव, झारखंड मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका कार्यालय धनबाद, डाकघर, थाना और जिला- धनबाद में स्थित है।

4. लेखा अधिकारी, झारखंड मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका कार्यालय धनबाद, डाकघर, थाना और जिला- धनबाद में स्थित है।

... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री सोमेश्वर रॉय, अधिवक्ता
श्री अरुण कुमार गुप्ता, अधिवक्ता

प्रतिवादियों की ओर से : श्री महावीर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

द्वारा न्यायालय:- पक्षों की सुनवाई की गई।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें मुख्य रूप से एक सर्टियोरेरी के रूप में रिट जारी करने की प्रार्थना की गई है, ताकि इस रिट याचिका के अनुबंध-3 में संलग्न पत्रांक 64 दिनांक 21.07.2016 को रद्द किया जा सके, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता का ग्रेच्युटी और भविष्य निधि को रोका गया है, क्योंकि माडा (MADA) द्वारा दायर एक आपराधिक मामला लंबित है। यह आदेश इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित एल.पी.ए. सं. 714/2004 में **डॉ. दुधनाथ पांडे बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य**, के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में पारित किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा निष्ठापूर्वक पूरी की थी और माडा के प्रभारी कार्यपालक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने एक परमादेश रिट जारी करने की प्रार्थना की है, जिससे प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे सेवानिवृत्ति के बाद देय राशि का भुगतान करें, जो कि अब तक नहीं किया गया है, जबकि इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने अपने आदेश दिनांक 20.01.2014 डब्ल्यूपी (एस) सं. 4896/2013 और आदेश दिनांक 29.07.2016 अवमानना याचिका (सिविल) सं. 262/2014, **उपेंद्र नारायण सिंह बनाम खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद एवं अन्य** के माध्यम से प्रतिवादियों को ऐसा करने का निर्देश दिया था।

3. प्रार्थी के लिए अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की एक समवर्ती पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार, समवर्ती पीठ ने प्रार्थी को तीन सप्ताह की अवधि में सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ एक नई पुनःप्रस्तावना दायर कर उत्तरदाता संख्या 2 से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी, ताकि उसकी शिकायत का समाधान किया जा सके और उस पुनःप्रस्तावना को प्राप्त करने पर उत्तरदाता संख्या 2 को कानून के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, प्रार्थी ने एक पुनःप्रस्तावना दायर की, लेकिन समवर्ती पीठ द्वारा निर्धारित समय के भीतर उत्तरदाताओं द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थी ने अवमानना प्रकरण (नागरिक) संख्या 262/2014 दायर किया। उक्त अवमानना प्रकरण (नागरिक) संख्या 262/2014 की लंबित स्थिति के दौरान, उत्तरदाताओं ने प्रार्थी के अवकाश लाभों का मूल्यांकन 7,73,122/- रुपये किया, बिना उचित गणना के, और अंततः समवर्ती पीठ ने अवमानना प्रकरण (नागरिक) संख्या 262/2014 में

29.07.2016 के आदेश द्वारा प्रार्थी को यह स्वतंत्रता दी कि यदि वह उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित राशि से संतुष्ट नहीं है, तो वह आपत्ति दायर कर सकता है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि परिशिष्ट-3 के माध्यम से उत्तरदाताओं ने ग्रेच्युटी और भविष्य निधि का भुगतान रोक दिया, क्योंकि मादा द्वारा दायर एक आपराधिक मामले की लंबित स्थिति थी, जो कानून में असंगत है। अतः इसे रद्द और निरस्त किया जाए।

4. प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि पेंशन और भविष्य निधि के भुगतान को रोकने का कोई वैध कारण नहीं है और उन्होंने राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार माडा को कर्मचारियों के बकाए भुगतान करने के लिए कम से कम छह महीने का समय देने का अनुरोध किया।

5. उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता ने उचित रूप से यह प्रस्तुत किया कि प्रार्थी को देय भविष्य निधि और ग्रेच्युटी का भुगतान न करने का कोई उचित कारण नहीं है और यह प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा राज्य सरकार को माडा के लिए योजना तैयार करने के निर्देश के मद्देनजर, ताकि माडा अपने कर्मचारियों के वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सके, उत्तरदाताओं को प्रार्थी को शेष ग्रेच्युटी और भविष्य निधि का भुगतान करने के लिए कम से कम छह महीने का समय दिया जाए।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 17 फरवरी 2024
एएफआर/ अनिमेष

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**